(96)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16] भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जनवरी 2011—पौष 22, शक 1932

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2011

क्रमांक एफ-14-6-2009-दस-2.—यत: राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्र, लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने (प्राचीन) दुर्लभ डायनासोर जीवाश्मों की प्राप्ति के कारण पारिस्थितिकीय, प्राणी जातीय, वनस्पतीय, भूआकृति विज्ञान, प्राणी विज्ञानिकीय और जीवाश्म की दृष्टि से पर्याप्त महत्व का है और वन्यप्राणी संरक्षण तथा विकास के प्रयोजन के लिए उसको लोकहित में संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है;

अतएव, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 35 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में यथाउल्लिखित 89.740 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र को ''डायनासोर फासिल नेशनल पार्क [illegible] में बनाने का आशय घोषित करते है.

सारणी

1. जिला—धार
2. वन मण्डल—धार
3. तहसील—कुक्षी
4. वन परिक्षेत्र—बाग
5. [illegible] खण्ड—पाडलिया
6. प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान का नाम—डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बाग
7. राष्ट्रीय उद्यान में सम्मिलित क्षेत्र

उपखण्ड क्रमांक (1)	प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में) (2)	भूमि पट्टा (हेक्टेयर में) (3)	अधिक्रमण (हेक्टेयर में) (4)	प्रभावित परिवार तथा घर (5)
17	36.795	निरंक	निरंक	निरंक
19	52.945	निरंक	निरंक	निरंक
योग . .	89.740	निरंक	निरंक	निरंक

8. भूमि की प्रास्थिति—आरक्षित वन

सीमाओं के ब्यौरे

उत्तर— आरक्षित वन सीमा खण्ड क्रमांक 17 के स्तम्भ क्रमांक 09 से 16 तथा बाग-जोबट-कुक्षी तिराहे मार्ग से आरक्षित वन सीमा खण्ड क्रमांक 10 का स्तम्भ क्रमांक 24.

पूर्व— आरक्षित वन सीमा खण्ड क्रमांक 19, स्तम्भ क्रमांक 24 से खण्ड क्रमांक 19 में बाग गुफा मार्ग से गंगा कुई मंदिर को.

दक्षिण— खण्ड क्रमांक 19 में बाग गुफा मार्ग पर गंगा कुई मंदिर से बाग-कुक्षी राजमार्ग के साथ पाडलिया स्कूल की नाला सीमा और खण्ड क्रमांक 17 के बीच तक.

पश्चिम—पाडलिया स्कूल नाला की सीमा से करगदा ग्राम मार्ग के साथ खण्ड क्रमांक 17 के स्तम्भ क्रमांक 09 को.

No. F-14-6-2009-X-2.—Whereas the State Government considers it necessary that the area specified in the Table below is of adequate ecological, faunal, floral, geomorphological, zoological and palaeonotological significance due to occurrence of about 6.5 million years old rare dinosaur fossils, and therefore needs to be protected in public interest for the purpose of wildlife conservation and development;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 35 of Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government hereby, declare the intention to constitute reserved forest area of 89.740 hectares as mentioned in Table below as "Dinosaur Fossils National Park, Bagh".

TABLE

1. District—DHAR
2. Forest Division—DHAR
3. Tehsil—KUKSHI
4. Range—BAGH
5. Forest Block—PADALIA
6. Name of proposed National Park—DINOSAUR FOSSIL NATIONAL PARK, BAGH
7. Area included in the National Park

Compartment No. (1)	Proposed Area (in hectare) (2)	Include Patta Land (in hectare) (3)	Include Encroachments (in hectare) (4)	Effected Family and households (5)
17	36.795	Nil	Nil	Nil
19	52.945	Nil	Nil	Nil
Total . .	89.740	Nil	Nil	Nil

8. Status of land—Reserved Forest.

Details of Boundaries

North—From Reserved Forest Boundary Compartment No. 17 Pillar No. 09 to 16 and from Bagh-Jobat-Kukshi marg. Tiraha upto Reserved Forest Boundary Pillar No. 24 of Compartment No. 10.

East— From Reserved Forest Boundary compartment No. 19, Pillar No. 24, to Gangakui Temple at Bagh Cave's read in Compartment No. 19.

South—Gangakui Temple at Bagh Cave's road in Compartment No. 19 to along with Bagh-Kukshi State highway road upto Padaliya school's Nala boundary between Compartment No. 17.

West— Padaliya school Nala's Boundary to Pillar No. 09 of Compartment No. 17 along with Karagda Village road.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शर्मा, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.